महत्वपूर्ण

संख्या-3/2018/1002/60-3-2018-13(सा0)/17टीसी

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांकः लखनऊः 29 जून, 2018

विषयः-प्रदेश के महिला शक्ति केन्द्र योजना के अन्तर्गत डी0एल0सी0डब्ल्यू0 हेतु चयनित किये जाने वाले कार्मिकों की चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-202/निदे0म0क0/अनुदान/2018/19 दिनांक 11-06-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में महिला शक्ति केन्द्र योजना के अन्तर्गत डी0एल0सी0डब्ल्यू0 हेतु चयनित किये जाने वाले 03 कार्मिकों की चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न जनपदों से इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी कि प्रश्नगत कार्मिकों का चयन विज्ञापन प्रकाशित कराकर संविदा के आधार पर किया जाना है अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस सम्बबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्कीम की गाइडलाइन्स (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर-12.2 में यह उल्लिखित है कि डी0एल0सी0डब्ल्यू0 के अन्तर्गत 03 व्यक्तियों (01-वूमेन वेलफेयर ऑफिसर, 02-डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर्स) का स्टाफ संविदा पर योजित किया जायेगा तथा प्रस्तर-12.4 के अनुसार डी0एल0सी0डब्ल्यू0-ह्यूमेन रिसोर्स सेलेक्शन प्रोसीजर-के अन्तर्गत डी0एल0सी0डब्ल्यू0 का एक हेड पोस्ट (वूमेन वेलफेयर ऑफिसर का) तथा दो डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर्स की भर्ती के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स ही चयन समिति होगी। इन पदो के लिये अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अर्हता का उल्लेख उक्त प्रस्तर में किया गया है, जिसमें यह भी उल्लिखित है कि इन पदों पर सम्बन्धित जनपदों की महिला को वरीयता दी जायेगी। गाइडलाइन्स के उपरोक्त प्रावधानानुसार प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1002 (1) /60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी-बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मुजफ्फरनगर, महामायानगर, झाँसी, मथुरा,इटावा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, जालौन,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बिजनौर, मैनपुरी, हमीरपुर, सहारनपुर, फर्रूखाबाद, महोबा। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, हरदोई, बलिया, मीरजापुर, बांदा, संतरविदास नगर (भदोही), शाहजहांपुर, ज्योतिबाफुले नगर, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, पीलीभीत, लखनऊ, मुरादाबाद, ललितपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, उन्नाव, खीरी, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, देवरिया, गोण्डा, मऊ, रायबरेली, कुशीनगर, बस्ती, सीतापुर, महाराजगंज, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर।

2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।